आवंटन
अनुदान संख्या–83 (आयोजनागत)
लेखाशीर्षक–22350278909–20
लेखाशीर्षक–22350278910–20

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी (मु0),
पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।

संख्याः 1/शा0/157/2013–1/395/2013 लखनऊः दिनांक 31 मार्च, 2013

विषयः भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत प्रदेश की बी0पी0एल0 श्रेणी की सभी महिलाओं को दो–दो साड़ी तथा वृद्धजनों को एक–एक कम्बल निःशुल्क वितरित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–83 में प्राविधानित धनराशि का आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–218/26–ब0प्र0–2013–100(9)/2013 दिनांक–31 मार्च, 2013 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अनुदान संख्या–83 आयोजनागत के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में प्राविधानित धनराशि बी0पी0एल0 परिवार की महिलाओं को साड़ी व बी0पी0एल0 परिवार के वृद्धजन को कम्बल हेतु क्रमशः ₹ 67.00 करोड़ व ₹ 33.00 करोड़ इस प्रकार कुल ₹ 100.00 करोड़ की धनराशि सापेक्ष शतप्रतिशत क्रमशः ₹ 67.00 करोड़ व ₹ 33.00 करोड़ इस प्रकार कुल ₹ 100.00 करोड़ (₹ एक अरब मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ के पी0एल0ए0 में रखे जाने हेतु आवंटित की जाती हैं:–

1– उक्तानुसार स्वीकृति धनराशि/जनपदवार फॉट के अनुसार ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तो, प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

2– उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3– इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनाएं परीक्षण/सत्यापन हेतु उपलब्ध करायी जाए।

4– उक्त धनराशि का व्यय/उपयोग एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा–निर्देश के अनुसार किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना कियान्वयन हेतु समय–समय पर निर्गत मार्ग निदेर्शो के अनुरूप किया जायेगा।

5– उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारियों को आवंटित की जायेगी, जो इसे आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर आपूर्तिकर्ता संस्था को शासनादेश में निहित व्यवस्थानुसार भुगतान करेगें।

6– उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–83 के लेखाशीर्षक "2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02–समाज कल्याण–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–09–बी0पी0एल0 परिवार की महिला हेतु साड़ी–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) तथा लेखाशीर्षक "2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02–समाज कल्याण–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–10–बी0पी0एल0 परिवार के वृद्धजन को कम्बल–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायगा।

कृ0पृ0उ0

7– शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सीए–934/दस–2008–मित–1/2007 दिनांक 2–9–2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

8– पी0एल0ए0 पर रखी जा रही धनराशि आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0–4 पर लेखा एवं बजट अनुभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

9– आवंटित धनराशि को कोषागार से आहरण की फेजिंग इस प्रकार सुनिश्चित की जायेगी कि सामान्यतः दो माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि एक मुश्त आहरित नहीं की जायेगी।

10– उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के कियान्वयन हेतु समय–समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

11– धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण–पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा लेखा एवं बजट अनुभाग को उपलब्ध कराया जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–25 पर अंकित है।

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीय,

(सौरभ बाबू)
निदेशक,
पंचायती राज,उ0प्र0।

संख्याः1/शा0/157/1/2013 उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद–211001.
2– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), इलाहाबाद।
3– प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
5– अनु सचिव, समाज कल्याण, बजट प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश शासन।
6– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7– उपनिदेशक (प0), पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
8– तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

(राम देव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

अशा0 पत्र संख्या–1/शा/154/2013–1/230/2010
लखनऊः दिनांकः 29 मार्च, 2013
आहरण एवं वितरण अधिकारी,
पंचायतीराज निदेशालय,
जवाहर भवन, लखनऊ।

वित्त (आय–व्ययक) अनु0–2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–बी–2–727/दस–2013–2/2012 पंचायती राज अनुभाग–3 पत्रावली सं0–100(10)/2012, दिनांक 29 मार्च, 2013 (छायाप्रति संलग्न) तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–61 से पंचायती राज संस्थाओं के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के लिये व्यवस्थित पुनरीक्षित धनराशि रू–17173.36 लाख में से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के प्रशिक्षण आदि के लिए अनुमन्य 1% धनराशि **रू–171.73 लाख (रूपया एक करोड़ इकहत्तर लाख तिहत्तर हजार मात्र)** निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश के निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

"उक्त धनराशि को निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा आहरित करके जिला पंचायत लखनऊ के डिपाजिट खाते में जमा किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार आहरित कर नियमानुसार व्यय किया जायेगा।"

उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–61 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक **"3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–03–राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन–0302–वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर समनुदेशन–28–समनुदेशन"** के नामे डाला जायेगा।

संलग्न उक्तानुसार।

(सौरभ बाबू)
निदेशक,
पंचायती राज,उ0प्र0।

संख्या एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन।
2–प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0 प्र0 शासन।
3–मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4–निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
5–निदेशक,पंचायतीराज (लेखा) इन्दिरा भवन दसवां तल लखनऊ।
6–प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
7– वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय(लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद–211001
8–उप निदेशक (पं0), पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
9–अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ।
10–उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, जापलिंग रोड लखनऊ।
11–तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

(राम देव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उ0प्र0।

अशा0 पत्र संख्या–1/शा/153/2013–1/230/2010
लखनऊः दिनांकः 29 मार्च, 2013
आहरण एवं वितरण अधिकारी,
पंचायतीराज निदेशालय,
जवाहर भवन, लखनऊ।

वित्त (आय–व्ययक) अनु0–2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–बी–2–726/दस–2013–2/2012 पंचायती राज अनुभाग–3 पत्रावली सं0–100(10)/2012, दिनांक 29 मार्च, 2013 (छायाप्रति संलग्न) तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अर्न्तगत वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–61 से पंचायती राज संस्थाओं के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के लिये व्यवस्थित धनराशि रू–156240.00 लाख में से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के प्रशिक्षण आदि के लिए अनुमन्य 1% धनराशि **रू–1562.40 लाख (रूपया पन्द्रह करोड़ बासठ लाख चालीस हजार मात्र)** निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश के निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

"उक्त धनराशि को निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा आहरित करके जिला पंचायत लखनऊ के डिपाजिट खाते में जमा किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार आहरित कर नियमानुसार व्यय किया जायेगा।"

उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–61 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक **"3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–03–राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन–0301–सामान्य समनुदेशन–28– समनुदेशन"** के नामे डाला जायेगा।

संलग्न उक्तानुसार।

(सौरभ बाबू)
निदेशक,
पंचायती राज,उ0प्र0।

संख्या एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन।
2–प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0 प्र0 शासन।
3–मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4–निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
5–निदेशक,पंचायतीराज (लेखा) इन्दिरा भवन दसवां तल लखनऊ।
6–प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
7– वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय(लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद–211001
8–उप निदेशक (पं0), पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
9–अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ।
10–उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, जापलिंग रोड लखनऊ।
11–तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

(राम देव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उ0प्र0।